भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग **III**, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 सितम्बर, 2019

फा.संख्याः 6–1/2016–बीएंडसीएस– केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो –

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2 खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एसओ 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (vii) और (viii) और धारा 12 के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019

(2019 की संख्या 02)

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण – (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम पूरे देश में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों तथा स्थानीय केबल आपरेटर द्वारा की जाने वाले सभी वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए प्रयोज्य होगा।

(3) (ए) उप खंड (बी) में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, यह विनियम सरकारी राजपत्र में इन विनिमयों के प्रकाशन की तिथि से एक सौ बीस दिन पश्चात् लागू होंगे।

(बी) विनियम 7 आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(ए) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

(बी) "सक्रिय सब्सक्राइबर" से, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आशय है कोई ऐसा सब्सक्राइबर, जिसे सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अनुसार टेलीविज़न चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जिसके सेट टॉप बॉक्स को सिगनल मना नहीं किया गया है;

(सी) ''एड्रेसेबल प्रणाली'' से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से कार्यक्रमों का संचारण, टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के पुनः संचारण समेत, कूट (एनक्रिप्टिड) किया जा सकता हैं और, जिन्हें सब्सक्राइबर को टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा सब्सक्राइबर की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, सब्सक्राइबर के परिसर में किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है;

(डी) "अ–ला–कार्टे अथवा अ–ला–कार्टे चैनल" टीवी चैनल के प्रस्ताव के संदर्भ में से आशय एकल आधार वाले चैनल के अलग–अलग प्रस्ताव से है;

(ई) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(एफ) ''औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार'' से आशय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट पद्धतियों से सक्रिय सब्सक्राइबर आधार की संख्या का औसत निकाल कर प्राप्त की गई संख्या से है**;**

(जी) "बुके" या "चैनलों के बुके" से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह

या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबंद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा;

(एच) "प्रसारक" से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केन्द सरकार से डॉउनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है;

(आई) ''अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी'' पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के संदर्भ में इसका आशय किसी टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को उसके पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के लिए, जैसा भी मामला हो, देय शुल्क है जिसके लिए उस प्रसारक से वितरक द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृति प्राप्त की गई हो;

(जे) ''प्रसारण सेवाओं'' का आशय है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार, जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा;

(के) ''केबल सेवा'' अथवा ''केबल टीवी सेवा'' से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण शामिल है;

(एल) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क'' अथवा ''केबल टीवी नेटवर्क'' से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(एम) "कैरिज शुल्क" से आशय है, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों का इलेक्टॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका में विशिष्ट स्थान का ब्योरा अथवा विशिष्ट चैनल संख्या का ब्योरा दिए बिना, टीवी चैनलों के वितरक के द्वारा संचालित प्लेटफार्म पर, उक्त प्रसारक के चैनल अथवा चैनलों के बुके (गुच्छों) के केवल कैरिज के लिए किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के वितरक को देय शुल्क;

(एन) "अनुपालन अधिकारी" से आशय है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नामजद कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक्ताओं को समझने में सक्षम है;

(ओ) "डॉयरेक्ट–टू–होम ऑपरेटर" अथवा "डीटीएच ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(पी) "डॉयरेक्ट–टू–होम सेवा" अथवा "डीटीएच सेवा" से आशय है उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके, बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबल आपरेटर अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरक, के सीधे सब्सक्राइबर के घर तक टेलीविजन के सिग्नलों का पुनर्प्रसारण करना;

(क्यू) "वितरण शुल्क" से आशय है, उपभोक्ताओं को, अपने पे टेलीविज़न चैनल (चैनलों) या जनरल पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के वितरण के उद्देश्य के लिए टेलीविज़न चैनलों के किसी वितरक को किसी प्रसारक द्वारा भुगतानयोग्य कोई शुल्क और इसमें कैरिज शुल्क शामिल नहीं हैं;

(आर) "डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर के वितरण नेटवर्क से है;

(एस) "टेलीविजन चैनलों का वितरक'' अथवा ''वितरक'' से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर से है;

(टी) "इलेक्टॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका'' अथवा ''ईपीजी'' से आशय टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अनुरक्षित कार्यक्रम मार्गदर्शिका से है जिसमें टेलीविजन चैनलों तथा कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाता है और जिसमें कार्यक्रम और उनके समय निर्धारण संबंधी जानकारी होती है तथा इसमें ऐसी और जानकारी वाली मार्गदर्शिका शामिल होती है जिसमें सब्सक्राइबर नेवीगेट कर ऐसे उपलब्ध चैनलों और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं;

(यू) "फ्री–टु–एयर चैनल'' अथवा '' फ्री–टु–एयर टेलीविजन चैनल'' से आशय ऐसे टेलीविजन चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है और जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा ऐसे चैनल के सिगनल हेतु प्रसारक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है;

(वी) "हैड एंड इन द स्काई आपरेटर'' अथवा "एचआईटीएस आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हैड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(डब्लू) "हैड एंड इन द स्काई सेवा'' अथवा "एचआईटीएस सेवा'' से आशय टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनर्प्रसारण सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से है––

(i) मध्यस्थों को जैसे केबल प्रचालक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं; और

(ii) उपग्रह प्रणाली तथा स्वयं का केबल नेटवर्क उपयोग कर सब्सक्राइबरों को;

(एक्स) "अंतःसंयोजन" से आशय है, ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने उपस्कर और नेटवर्क संयोजित करते हैं;

(वाई) "अंतःसंयोजन करार" इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और समस्रोतीय अभिव्यक्तियों के साथ इससे आशय है, ऐसे अंतःसंयोजन करार जिनमें टेलीविज़न चैनलों के सिगनलों के वितरण के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों का उपबंध किया गया है;

(ज़ेड) 'अंतःसंयोजन विनियम'' से आशय, दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;

(एए) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर'' अथवा "आईपीटीवी आपरेटर'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;

(बीबी) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा'' अथवा "आईपीटीवी सेवा'' से आशय है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोज्ड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके एड्रेसेबल पद्धति में मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना;

(सीसी) "स्थानीय केबल ऑपरेटर'' अथवा ''एलसीओ" से आशय, ऐसे व्यक्ति से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;

(डीडी) "अधिकतम खुदरा मूल्य'' अथवा ''एमआरपी'' से इस विनियम के प्रयोजनार्थ आशय, कर के अलावा, ऐसे अधिकतम मूल्य से है जो किसी सब्सक्राइबर द्वारा अ–ला–कार्टे पे चैनल अथवा पे–चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए देय है;

(ईई) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'' अथवा ''एमएसओ" से आशय किसी ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक से अधिक

सब्सक्राइबर को सीधे ही अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ–साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें पुनः संचारित करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को संचारित करता है;

(एफएफ)''पे प्रसारक '' से आशय ऐसे प्रसारक से है, जिसने एक या एक से अधिक चैनलों को पे चैनल के रूप में, उपयुक्त विनियमों या टैरिफ आदेश के तहत , जैसा मामला हो, प्राधिकरण को घोषित किया है;

(जीजी) ''पे–चैनल'' से आशय ऐसे चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है तथा जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को अधिकतम खुदरा मूल्य के हिस्से को भुगतान किया जाना होता है और जिसके लिए सब्सक्राइबरों तक ऐसे चैनलों के वितरण हेतु प्रसारक से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(एचएच) ''कार्यक्रम" से आशय किसी टेलीविजन प्रसारण से है तथा इसमें निम्नवत शामिल हैंः–

(i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण;

और

''कार्यक्रम सेवा''अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा;

(आईआई) ''संदर्भ अंतःसयोजन प्रस्ताव'' अथवा ''आरआईओ'' का आशय एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज से है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिस पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त कर सकते हैं;

(जेजे) ''रजिस्टर'' से आशय अंतःसंयोजन करारों और ऐसे ही अन्य सभी मामलों के रजिस्टर से है जिसे प्राधिकरण द्वारा उस स्वरूप में, जैसा समय–समय पर निर्णय लिया जाए, रखरखाव किया जाता है;

(केके) ''रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर'' से आशय है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके संयुक्त उपक्रम(मों), यदि कोई हो तो, सहित संपूर्ण संवितरण नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार, वर्ष के मार्च माह में रिपोर्टिंग थ्रेशहोल्ड के समकक्ष अथवा उससे अधिक हो;

(एलएल)''रिपोर्टिंग थ्रेशहोल्ड'' से आशय है, एक लाख अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित निदेश अथवा आदेश द्वारा यथा विहित होगा;

(एमएम) ''सेट टॉप बाक्स'' अथवा ''एस.टी.बी.'' का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;

(एनएन) "सब्सक्राइबर'' से आशय इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबधित प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगेय किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइब की गई टेलीविजन से संबधित प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा;(ओओ)

(ओओ) ''सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली'' से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गए चैनल या चैनलों के बुके, प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुके या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल

के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राईबर का रिकार्ड तथा ब्यौरा एकत्रित करता है;

(पीपी) "टेलीविजन चैनल'' से आशय किसी चैनल से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतिगत दिशनिर्देशों के तहत डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति प्रदान की जाती गई हो तथा ''चैनल'' शब्द का अभिप्राय ''टेलीविजन चैनल'' माना जाएगा।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों या केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

अध्याय–दो

सूचना प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

3. प्रसारकों और वितरकों द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर) और अंतःसंयोजन करार के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग–

(1) प्रत्येक प्रसारक, अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, अनुसूची–। में मुहैया कराए गए तरीके और प्रारूप के अनुसार या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किसी निदेश या आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, के अनुसार, अपनी आरआईओ और उसके संशोधनों या आशोधनों के बारे में, अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार अपनी वेबसाइट में प्रकाशन होने के साथ–साथ, प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा।

(2) प्रत्येक वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर), अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, अनुसूची–।। में मुहैया कराए गए तरीके और प्रारूप के अनुसार या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किसी निदेश या आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, के अनुसार, अपनी आरआईओ और उसके संशोधनों या आशोधनों के बारे में, अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 8 के अनुसार अपनी वेबसाइट में प्रकाशन होने के साथ–साथ, प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा।

(3) प्रत्येक प्रसारक अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, प्राधिकरण को चैनलों के संबंध में सभी अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना के बारे में प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा

(i) जिनके लिए आरआईओ अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार प्रकाशित किया गया है।
(ii) स्थापन के लिए,
(iii) विपणन के लिए, अथवा
(iv) अन्य किसी तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करारों के लिए,

और इससे संबंधित आशोधनों और संशोधनों के संबंध में ऐसे समझौतों और संशोधनों व आशोधनों पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, तीन भागों में नामतः ए, बी और सी, उस 'रूप' और 'प्रारूप' में जो अनुसूची– III में दिया गया है अथवा किसी निदेश द्वारा अथवा समय–समय पर किसी आदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, प्रदान करेगा।

बशर्ते कि ऐसे सभी मौजूदा करारों जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(4) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, सभी अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना की जानकारी प्राधिकरण को देगा, जिसके लिए आरआईओ को अंतःसंयोजन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार प्रकाशित किया गया है और जिसके संबंध में चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारक से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर की तिथि से तीस दिनों के भीतर आशोधन अथवा संशोधन हुए हैं तथा ऐसे आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, उस 'रूप' और 'प्रारूप' में हुए हैं जो अनुसूची–IV में दी गई है अथवा किसी निदेश द्वारा अथवा समय–समय पर किसी आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो।

बशर्ते कि ऐसे सभी मौजूदा करारों, जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित सूचना की जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

बशर्ते आगे कि, ऐसे मामलों में जहां संयुक्त उपक्रम(मों), यदि कोई हो, सहित किसी डिस्ट्रीब्यूटर, जो पिछले वर्ष में रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर था, के समग्र डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार रिपोर्टिंग की सीमा से कम हो, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित वर्ष के मार्च के अंत से तीस दिनों के भीतर इस संबंध में प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र देगा जो उसके अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया हो।

(5) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से सभी अंतःसंयोजन करारों तथा इससे जुड़े आशोधन अथवा संशोधन, जो एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित हो, से संबंधित सूचना को ऐसे करारों के हस्ताक्षर होने तथा संशोधनों अथवा आशोधनों, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिनों के भीतर अनुसूची–V में प्रदत्त 'रूप' और 'प्रारूप' में अथवा किसी निदेश के अनुसार प्राधिकार द्वारा अथवा समय–समय पर किसी आदेश द्वारा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

बशर्ते कि ऐसे सभी मौजूदा अंतःसंयोजन जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित सूचना की जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(6) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से उप विनियम (3) के तहत प्रसारक और उसके बीच हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में प्रसारक द्वारा दर्ज करने की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण के निदेश द्वारा निर्धारित तरीके से अथवा समय–समय पर किसी आदेश के अनुसार, प्रसारक द्वारा दी गई सूचना सत्यापन करेगा।

बशर्ते, यदि कोई प्रसारक ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में असफल रहता है तो संबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्राधिकरण को ऐसे करारो और इसमें किए गए आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, हस्ताक्षर की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।

(7) प्रत्येक प्रसारक अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से उप विनियम (4) के तहत उनके बीच हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दर्ज करने की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण के निदेश द्वारा निर्धारित तरीके से अथवा समय–समय पर दिए गए आदेश के अनुसार, रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करेगा।

बशर्ते, यदि कोई रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में असफल रहता है तो संबंधित प्रसारक प्राधिकरण को ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, हस्ताक्षर की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर इससे संबंधित सूचना प्रदान करेगा।

(8) प्रत्येक प्रसारक और रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंत से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र भी जमा करेगा जो की उसके अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होगा, कि उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सभी अंतःसंयोजन करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों से संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाओं, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट किया जाना था, रिपोर्ट कर दिया गया और यह सूचना सही है, ठीक है तथा हर दृष्टिकोण से पूर्ण है।

4. प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सूचना देने अथवा दी गई सूचना की सत्यता की जांच करने में असफलता के परिणाम– (1) यदि कोई प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर नियत तिथि तक विनियम 3 के तहत यथा अपेक्षित सूचना देने अथवा प्रमाणपत्र देने अथवा दी गई सूचना का सत्यापन करने में असफल होता है तो वह अपने लाइसेंस/ अनुमति/ पंजीकरण की निबंधन व शर्तों अथवा अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा इसमें दिए गए आदेश अथवा इसके तहत जारी निदेश पर विपरीत प्रभाव डाले बिना नियत तिथि के बाद तीस दिनों तक चूक के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपए की राशि और यदि यह चूक नियत तिथि से तीस दिनों के बाद भी जारी रहती है तो प्रतिदिन दो हजार रूपए की अतिरिक्त राशि, जिसे प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश दे, वित्तीय निरूत्साहन के रूप में देगा।

बशर्ते कि इस उप विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रभारित वित्तीय निरूत्साहन की राशि किसी भी स्थिति में दो लाख रूपए से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते आगे कि, यदि प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर को प्राधिकरण द्वारा दिए गए विनियमों के उल्लंघन, जो भी मामला हो, में अभ्यावेदन का उचित अवसर नहीं दिया तो प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरूत्साहन के माध्यम से किसी राशि के भुगतान का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इन विनियमों के तहत वित्तीय निरूत्साहन राशि के माध्यम से देय राशि को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए खाता शीर्ष में विप्रेषित किया जाएगा।

अध्याय – तीन

रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया और इसका निरीक्षण

5. रजिस्टर का अनुरक्षण — प्राधिकरण रजिस्टर का अनुरक्षण दो भागों नामतः भाग–एक और भाग–दो में करेगा जहां:

(i) भाग– I में निम्नवत जानकारी होगी–

(क) विनियम 3 के उप विनियम (1), (2), (4) और (5) के तहत प्रदान की गई जानकारी; और

(ख) विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'ए' में प्रदान की गई जानकारी;

(ii) भाग– II में विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'बी' और 'सी' में दी गई जानकारी शामिल होगी।

6. रजिस्टर का निरीक्षण— (1) इस रजिस्टर को अगोपनीय माना जाएगा, जब तक किसी अंतःसंयोजन करार के लिए कोई पक्ष इसके तहत उप विनियम (2) में दिए गए अनुसार और निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण से भाग–दो में दर्ज समझौते के किसी भी भाग को गोपनीय रखने के लिए कोई अनुरोध नहीं करता है।

(2) उपर्युक्त उप विनियम (1) के अनुसार गोपनीयता का अनुरोध, गोपनीय रखे जाने वाले भाग के गैर–गोपनीय सारांश के साथ लिखित रूप में किया जाएगा। सेवा प्रदाता गोपनीय रखे जाने वाले पैराओं अथवा इनके भागों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा। इस अनुरोध के साथ ऐसी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए कारण भी साथ होंगे।

(3) जहां प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को निरस्त करने का प्रस्ताव करेगा, वह सेवा प्रदाता को ऐसा करने के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और निर्धारित अवधि में इसे विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के विचारण पर प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा। यदि प्राधिकरण सेवा प्रदाता का अनुरोध निरस्त करता है, तो वह लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों सहित इसकी जानकारी प्रदान करेगा।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1) से (3) तक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रजिस्टर का(के) गैर–गोपनीय भाग इसके अंतर्गत उप विनियम (7) के तहत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी आम व्यक्ति हेतु जांच के लिए खुला रहेगा।

(5) इस रजिस्टर की जांच करने का इच्छुक कोई व्यक्ति लिखित रूप में मांगी गई जानकारी का ब्यौरा देते हुए प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामोदि्दष्ट अधिकारी के पास आवेदन करेगा।

(6) यह नामोदि्दष्ट अधिकारी इस रजिस्टर की जांच की अनुमति प्रदान करेगा और साथ हीं इसके अंतर्गत उप विनियम (7) के तहत निर्धारित शुल्क की प्राप्ति पर रजिस्टर के संगत भाग के उद्धरण को उपलबध कराएगा।

(7) शुल्क और अन्य प्रशुल्कों का उद्ग्रहण;

(i) इस रजिस्टर की जांच के लिए 50 रूपए प्रतिघंटा का शुल्क अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किसी निदेश अथवा किसी आदेश द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(ii) इस रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियों के लिए 20 रूपए प्रति पृष्ठ अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किसी निदेश अथवा किसी आदेश द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

बशर्ते कि, प्राधिकरण उपयुक्त वॉटरमार्क के साथ 'सॉफ्ट फार्मेट' में उद्धरण की प्रतियां प्रदान कर सकता है।

(8) इस विनियम में अंतर्निहित कुछ भी इस रजिस्टर में प्रविष्ट अंतःसंयोजन समझौते पर लागू नहीं होगा–

(i) जिसके संबंध में ऐसे करारों की रिपोर्टिंग की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा

(ii) जिसके संबंध में इस करारों में यथा विनिर्दिष्ट वैधता अवधि समाप्त हो गई हो, इनमें से जो भी बाद में हो।

अध्याय – चार
विविध

7. अनुपालन अधिकारी की नामजदगी और उसके दायित्व – (1) प्रत्येक प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद अपना प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालन को आरंभ करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।

(3) प्रत्येक प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर, इस विनियम के उपबंधों के तहत अनुपालन अधिकारी को नामित किए जाने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नवत की सत्यापित प्रति के साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क संख्या और ईमेल पता का ब्यौरा प्रदान करेगा–

(क) यदि सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो उस मामले में उसके बोर्ड का संकल्प; अथवा

(ख) यदि सेवा प्रदाता कोई कंपनी नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार पत्र;

जिसमें अनुसूची VI में यथा उपबंधित ऐसे अनुपालन अधिकारी के पद को प्राधिकृत किया गया है:

(4) इस विनियम के उपबंधों के अंतर्गत नामजद किए गए अनुपालन अधिकारी के नाम में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे बोर्ड के संकल्प या सक्षम अधिकारी से अधिकार पत्र, जैसा भी मामला हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ–साथ, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(5) अनुपालन अधिकारी के पते अथवा संपर्क नम्बर अथवा ई–मेल पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना ऐसे परिवर्तन के होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।

(6) अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

(क) इन विनियमों और इन्हीं विनियमों के तहत जारी प्राधिकरण के निर्देशों के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करना; और

(ख) यह सुनिश्चित करना कि उचित प्रक्रियाएं स्थापित की गई है और इन विनियमों के अनुपालन के लिए इनका अनुसरण किया जा रहा है।

8. कठिनाइयों को दूर करना– इन विनियमों की व्याख्या अथवा इनके उपबंधों के अनुप्रयोग में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राधिकरण समय–समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

9. निरसन और व्यावृत्ति —(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004 (2004 का 15) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप विनियम (1) के तहत उल्लिखित विनियम के निरसरन के बावजूद भी उक्त विनियम के तहत कुछ भी किया गया अथवा की गई कोई भी कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कोई कार्रवाई इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के तहत की गई मानी जाएगी।

(यू के श्रीवास्तव**)**
सचिव प्रभारी

नोट**:** इसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन अंतःसंयोजन करार के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य सभी मामले विनियम, 2019 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 (2019 की संख्या 02) के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भादूविप्रा अधिनियम) प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगति और प्रभावी अंतर्संयोजना को सुनिश्चित करने, अंतर्संयोजना की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने तथा अपने राजस्वों की हिस्सेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करने का कार्य सौंपता है। अधिसूचना संख्या 2004 का 39 {(सा.आ. 44 (इ.) और 45 (इ)} के तहत वर्ष 2004 में भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1997 की धारा 2(के) की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवा के दायरे में प्रसारण और केबल सेवाओं को लाया गया था।

2. सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन एक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अथवा तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्था का संयोजन है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपकरण और नेटवर्कों को जोड़ता है ताकि सब्सक्राइबर सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियां) विनियम, 2012 तैयार कर अंतःसंयोजन के लिए एक विनियामक रूपरेखा लागू की थी। इस रूपरेखा के आधार पर टेलीविजन चैनलों के प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यटर एक समझौता करने के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। मौजूदा अंतःसंयोजन विनियामक ढ़ांचा के तहत प्रसारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे गैर–विभेदकारी शर्तों पर टीवी चैनलों के सिग्नल टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रदान करें। इसी प्रकार, टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे गैर–विभेदकारी शर्तों पर प्रसारकों को अपने नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करें।

3. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) प्राधिकरण को अंतःसंयोजन करारों की रजिस्टर को अनुरक्षित रखने तथा जांच के लिए इसे तैयार रखने का अधिदेश प्रदान करता है। इन उपबंधों को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:

''11 (1) (बी) ----------

vii. अंतःसंयोजन करार और इन विनियमों में प्रदत्त अन्य सभी ऐसे मामलों से संबद्ध रजिस्टर का अनुरक्षण;

viii. इन विनियमों में यथा प्रदत्त ऐसे शुल्क के भुगतान तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर किसी भी सामान्य व्यक्ति हेतु जांच के लिए खंड (7) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर को दिखाना;

ix. ----------''

4. भादूविप्रा अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों तथा अंतःसंयोजन के लिए विनियामक ढ़ांचे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने दिनांक 31 दिसम्बर, .2004 को पृथक विनियमों को अधिसूचित किया नामतः '' अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004'' (2004 का 15) (जिसे इसके पश्चात् अंतःसंयोजन विनियम रजिस्टर कहा जाएगा) जिसमें प्रसारण और केबल सेवाओं हेतु अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर की पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। उक्त विनियमों को अंतःसंयोजन विनियमों में होने वाले बदलाव की तर्ज पर समय–समय पर संशोधन किए गए।

5. अंतःसंयोजन विनियम रजिस्टर के अनुसार प्रसारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक आधार पर टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ हुए अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरा दें। उसी प्रकार, डीटीएच आपरेटरों, एचआईटीएस आपरेटरों और आईपीटीवी आपरेटरों से अपेक्षा थी कि वे वार्षिक आधार पर प्रसारक के साथ हुए अपने अंतःसंयोजन समझौतों की रिपोर्ट दें। प्रसारकों को दिनांक 29 जुलाई, 2009 को एक निदेश जारी किया गया जिसमें उन्हें अंतःसंयोजन समझौते के मुद्रित रूप के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप ('नॉन–राइटेबल सीडी') में ब्यौरा देने का निदेश दिया गया। प्राधिकरण को प्रत्येक अंतःसंयोजन करारों की प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरा देने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2009 को डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी आपरेटर को

एक निदेश जारी किया गया। अंतःसंयोजन समझौते की रजिस्टर को दो भागोंः भाग क और भाग ख में अनुरक्षित रखा जाना था जिसमें भाग क को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी आम व्यक्ति को जांच के लिए दिखाया जाएगा और भाग–ख को व्यक्तियों द्वारा जांच किए जाने के लिए खुला नहीं रखा गया। भाग– ख में ऐसी सूचना अंतर्विष्ट थी जिसे सेवा प्रदाता के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त सूचना की गोपनीयता का निर्णय करते समय प्राधिकरण के लिए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (जानकारी तक पहुंच) विनियम, 2005 के संगत प्रावधानों का अनुसरण करना आवश्यक था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जानकारी तक पहुंच) विनियम, 2005 में निम्नलिखित सूचना के प्रकटन से छूट का एक उपबंध हैः

(i) व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीयता और कानून द्वारा संरक्षित सूचना;

(ii) वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से संवेदनशील जानकारी, जिसके प्रकटन से सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ या अनुचित हानि होने की संभावना हो, अथवा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के साथ समझौता होता हो।

6. रजिस्टर विनियम, 2004 के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दर्ज अंतर्संयोजन/ दिए गए ब्योरे की जांच के संबंध में प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ–साथ पाया किः

क) टेलीविजन चैनलों के विभिन्न प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त फॉइलिंग में एकरूपता की कमी थी;

ख) मानक सहबद्धता समझौते की फाइलिंग के संबंध में रजिस्टर विनियम, 2004 में अपेक्षा की विभिन्न व्याख्या थी;

ग) मुद्रित रूप में सूचना की रिपोर्टिंग एक समय लेने वाला और श्रमसाध्य कार्य बन गया था और यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं था।

इसलिए, रजिस्टर विनियम, 2004 की समीक्षा व्यावहारिक की गई है।

7. अंतःसंयोजन समझौतों के रजिस्टर हेतु विनियामक रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए सुस्थापित पद्धतियों की तर्ज पर प्राधिकरण ने दिनांक 23 मार्च, 2016 को '' अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवा) विनियम, 2016'' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया। उक्त परामर्श पत्र के उत्तर में हितधारकों से कुल 26 टिप्पणियां और 2 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं। बाद में दिनांक 26 मई, 2016 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया।

8. इस दौरान, प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को एक नया विनियामक ढ़ांचा अधिसूचित किया जो सभी प्रकार के एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एकसमान है। उक्त रूपरेखा में निम्नलिखित विनियम और प्रशुल्क की व्यवस्था हैः

क. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (*इसके पश्चात् इसे* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 *कहा जाएगा*)।

ख. गुणवत्तापूर्ण सेवा का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (*इसके पश्चात् इसे* क्यूओएस विनियम, 2017 *कहा जाएगा*)।

ग. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क व्यवस्था, 2017 (*इसके पश्चात् इसे* प्रशुल्क व्यवस्था, 2017 *कहा जाएगा*)।

9. इस नए विनियामक ढ़ांचे को मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, उक्त विनियमों की कानूनी चुनौती दिए जाने के कारण यह विनियम दिनांक 03 जुलाई, 2018 को विधिक मुद्दों के समाधान के बाद प्रभावी हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके पश्चात् दिनांक 30 अक्तूबर, 2018 के अपने आदेश के तहत भादूविप्रा के अधिकारों को बनाए रखा और यह निर्णय दिया कि विनियम और प्रशुल्क व्यवस्था भादूविप्रा अधिनियम के शक्ति के अधीन है। कुछ सेवा प्रदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन विनियमों और प्रशुल्क व्यवस्था को चुनौती भी दी है। नए विनियामक ढ़ांचे के प्रभावी होने के बाद सभी सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित है कि वे उक्त रूपरेखा के अनुसार अंतःसंयोजन करार करें; परिणामस्वरूप इन विनियमों के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं नई रूपरेखा द्वारा निर्धारित मानकों पर निर्भर हैं। इस नई विनियामक ढ़ांचा की मुख्य विशेषताएं निम्नवत रूप में दी गई हैंः

क) प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अपेक्षित है कि अलाकार्ट आधार पर अपने पे चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की घोषणा करें। तथापि, यह अधिकतम खुदरा मूल्य सभी प्रकार के एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एक समान होंगे।

ख) प्रत्येक प्रसारक को पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत पर वितरण शुल्क जो 35 प्रतिशत तक हो सकता है, की घोषणा करनी चाहिए।

ग) वितरण शुल्क के अतिरिक्त, प्रसारक, डिस्ट्रीब्यूटरों को छूट की पेशकश कर सकते हैं, जो पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तथापि, किसी भी स्थिति में किसी प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क और पेशकश की गई छूट का योग पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुकें, जैसा भी मामला हो, के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

घ) प्रत्येक प्रसारक को अपने वेबसाइट पर रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर (आरआईओ) प्रकाशित करना चाहिए जिसमें अपने पे चैनलों और पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरण शुल्क, छूट आदि की जानकारी हो और साथ ही साथ इसकी एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी चाहिए।

ड.) प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अपेक्षित है कि वह टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को पे चैनलों का सिग्नल देने के लिए उसके द्वारा प्रकाशित आरआईओ के आधार पर एक लिखित अंतःसंयोजन करार करे।

च) उसी प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह अपेक्षित है कि अपने वितरण नेटवर्क पर चैनल को वहन करने के लिए अपनी वेबसाइट पर आरआईओ को प्रकाशित करे। ऐसे आरआईओ में टारगेट मार्केट, वाहक शुल्क दर, वाहक शुल्क की गणना पद्धति आदि जैसी सूचना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और साथ ही साथ प्राधिकरण को एक प्रति भी प्रदान करनी चाहिए।

छ) वाहक शुल्क की दर की उच्चतम सीमा को 0.20 रूपए प्रति स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनल और 0.40 रूपए प्रति हाई डेफिनिशन चैनल तक रखी गई है। वाहक शुल्क संगणना की पद्धति इन विनियमों में ही निर्धारित है। डिस्ट्रीब्यूटर वाहक शुल्क के संबंध में छूट पेशकश कर सकता है। तथापि, इस प्रकार की छूट 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

ज) प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपेक्षित है कि वह टेलीविजन चैनलों को चलाने के लिए प्रसारक के साथ अपने प्रकाशित आरआईओ के आधार पर एक लिखित समझौता करे जिसके संबंध में ऐसे प्रसारकों से अनुरोध प्राप्त हुए है।

झ) दो सेवा प्रदाताओं के बीच किसी चैनल के लिए किसी अन्य प्रकार का शुल्क यथा विपणन शुल्क, स्थापन शुल्क आदि का भुगतान अंतःसंयोजन करार के अनुसार किया जाना चाहिए और इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।

ञ) कुछ डिस्ट्रीब्यूटर (उदाहरण के लिए मल्टी सिस्टम आपरेटर) एलसीओ के माध्यम से प्रसारण सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अनिवार्य है कि सिग्नल प्रदान करने से पूर्व लिखित करार करें। ऐसे अंतःसंयोजन समझौते में प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार (एमआईए)/ मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) के अनुसार मानक उपबंधों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: उपर्युक्त मुख्य बिंदु केवल सामान्य व्याख्या के लिए हैं और इनका इन विनियमों में संगत खंड(डों) के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. इस परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों और नए विनियामक ढ़ांचे के कार्यान्वयन के अनुसरण में बाजार में घटनाक्रमों के विश्लेषण के आधार पर अंतःसंयोजन करार विनियम के प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा रजिस्टर, 2019 को दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। सभी हितधारियों से इन प्रारूप विनियमों पर दिनांक 06 मई, 2019 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। कुछ हितधारियों द्वारा किए गए अनुरोधों के मद्देनजर लिखित टिप्पणियों को देने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 13 मई, 2019 कर दिया गया और दिनांक 20 मई, 2019 तक प्रति टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। उपर्युक्त परामर्श पत्र के उत्तर में हितधारियों से कुल 21 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। बाद में, दिल्ली में दिनांक 10 जून, 2019 एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में हितधारियों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया।

11. निम्नलिखित पैराओं में इन मुद्दों पर हितधारियों से प्राप्त टिप्पणियों/ विचारों का सार, इन टिप्पणियों का विश्लेषण और इन विनियमों के उद्देश्य और कारण दिए गए हैं।

अंतःसंयोजन करारों के संबंध में जानकारी संबंधी अपेक्षाएं

12. टेलीविजन चैनलों के वितरण के 'वेल्यू चेन' में प्रसारक, टेलीविजन चैनल, स्थानीय केबल आपरेटर और अंतिम सब्सक्राइबर शामिल हैं। प्रसारक से सब्सक्राइबर तक टेलीविजन चैनलों के वितरण के कारोबार में दो स्तर है – i) प्रसारक टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को टेलीविजन चैनल के सिग्नल प्रदान करता है और ii) टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर सब्सक्राइबरों को या तो सीधे या स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से इन चैनल मुहैया कराता है। टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों में डीटीएच आपरेटर सब्सक्राइबर को सीधे सेवा मुहैया कराता है जबकि, एमएसओ और एचआईटीएस आपरेटर सामान्यतया अपने लिंक वाले एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबरों को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रावधान की कारोबारी प्रक्रिया में टेलीविजन सिग्नल टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से सब्सक्राइबरों को प्रसारकों से टेलीविजन सिग्नल प्रवाह प्राप्त होता है। तथापि, इस 'वेल्यू चेन' में टेलीविजन चैनल का प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्तकर्ता अथवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रसारक से टेलीविजन चैनलों के सिग्नल की आवश्यकता होती है तो यह एक प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है और ऐसे मामले में प्रसारक टेलीविजन चैनल के सिग्नल का प्रदाता बन जाता है। इसी प्रकार, जब प्रसारक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नेटवर्क पर उनके टेलीविजन चैनल प्रदान करने के अनुरोध के साथ पहुंच बनाता है तो यह एक प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पहुंच का एक प्रदाता बन जाता है।

13. इसलिए, परामर्श पत्र में यह परिकल्पना की गई कि टेलीविजन सिग्नल का प्रदाता अथवा नेटवर्क तक पहुंच, जैसा भी मामला हो, को प्राधिकरण के लिए अंतःसंयोजन करारों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। तदनुसार, परामर्श पत्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि पे चैनल के प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच अंतःसंयोजन करारों का ब्योरे की जानकारी पे चैनल के प्रसारक द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटर और एलसीओ के बीच अंतर्संयोजन ब्योरे की सूचना डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी लागू हो, डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वाहक संबंधी ब्योरे की जानकारी प्रदान की जाएगी।

14. अंतःसंयोजन विनियम 7 के अनुसार प्रत्येक प्रसारक के लिए रिकार्ड करने के उद्देश्य से अपने आरआईओ की प्रति को प्राधिकरण को देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधनों की सूचना अंतःसंयोजन विनियम के उप खंड 7(8) के अनुसार दिया जाना होता है। अंतःसंयोजन विनियम 8 के अनुसार टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को रिकार्ड के प्रयोजनार्थ अपने आरआईओ की एक प्रति प्राधिकररण को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी अंतःसंयोजन विनियम के उपखंड 8(7) के अनुसार देनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर के आकार के अनपेक्षतः, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने आरआईओ संबंधी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है।

15. परामर्श प्रक्रिया के दौरान एक हितधारी ने यह टिप्पणी की कि वाहक शुल्क/स्थापन शुल्क समझौता, अंतःसंयोजन करार नहीं है। इसलिए, वाहक शुल्क/स्थापन शुल्क की सूचना देने के लिए कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने यह टिप्पणी की कि पूर्ण परामर्श और भेदभाव रहित सेवा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पक्षों को किसी भी क्षतिपूर्ति (मौद्रिक संदर्भ या अन्यथा[1]) सहित सभी समझौतों को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि चाहे उनके बीच वाहक/विपणन/सहायता अथवा अन्य टैग पर हस्ताक्षर हुए हों। प्रारूप विनियम से संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई हितधारियों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रारूप विनियमों के तहत जानकारी संबंधी अपेक्षाएं केवल सब्सक्रिप्शन, वाहक/ आरआईओ स्थापन तक सीमित रहनी चाहिए। प्रसारकों और डीपीओ के बीच किसी अन्य वाणिज्यिक समझौतों के समावेश से इन विनियमों के कार्यक्षेत्र विस्तार होगा। कुछ हितधारकों ने इस बात का पक्ष लिया कि टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हस्ताक्षरित विपणन अथवा सहायता अथवा दृश्यता अथवा स्थापन के लिए किसी प्रोत्साहन (मौद्रिक या अन्यथा) सहित सभी समझौतों के ब्योरे की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। कुछ हितधारकों ने यह बताया है कि स्थापन के समझौते जिन पर कोई रोक टोक नहीं है, सारे नियमों को विदूषित कर रहे हैं। उनके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्त लचीलेपन का दुरूपयोग कर प्रसारकों को परेशान कर रहे हैं। एक हितधारी ने यह भी विचार दिया कि किसी प्रसारक के लिए समान कार्य अवसर को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिन्न प्रसारकों से

[1] उदाहरण के लिएः कोई करार जिसमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हों, परंतु जिसमें आश्वस्त रूप्प से विज्ञापन के स्लॉट अथवा आश्वस्त रूप से एलसीएन नम्बर आदि मुहैया कराए गए हों

भिन्न विपणन शुल्कों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है अथवा वह कतिपय प्रसारकों को इसकी छूट दे सकता है। यह इस नई व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है जिस व्यवस्था का लक्ष्य समान अवसर सृजित करना, उचित और भेदभाव रहित पद्धति प्रदान करना है।

16. 'अंतःसंयोजन करार' की परिभाषा (क्लॉज 2 (y)) में सेवा प्रदाताओं के बीच सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसलिए इस विनियम के दायरे और शासनादेश में टेलिविजन चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 11(1) (बी) (vii) में प्राधिकरण को यह अधिदेशित है कि वह अंतःसंयोजन करार के रजिस्टर को अक्षुण्ण रखे और अन्य सभी ऐसे मामले जो इन विनियमों में प्रदान किया जा सके। अंतःसंयोजन विनियम और यह विनियम गैर पक्षपात पूर्ण सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी शासन बनाने का प्रयास करता है। विनियम में सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सूरक्षा उपाय शामिल हैं। विनियम सेवा प्रदाताओं को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी की गोपनीयता का दावा करने का अवसर प्रदान करता है। रेगुलेटर द्वारा जानकारी मांगना किसी भी तरह से मार्केट पारटिसपेंट की स्वतत्रंता पर अंकुश नहीं लगाता है। अधिनियम प्राधिकरण को सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्था सहित किसी भी जानकारी के लिए मांगने का अधिकार देता है।

17. अंतःसंयोजन विनियम का मुख्य सिद्धांत पारदर्शिता और भेदभाव नहीं करना है। सेवा प्रदाताओं के बीच सभी परिणामी करारों (अंतःसंयोजन करारों के परिणामी) में पारदर्शिता और गैर– भेदभाव के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस तरह के उत्तरगामी करारों द्वारा परस्पर संबंधों के अनिवार्य तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूप को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इन समझौतों की तुलना में (स्थापन शुल्क, विपणन शुल्क अथवा सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर समझौते के किसी अन्य नाम) के संदर्भ में प्राधिकरण ने कम नियंत्रण वाली विनियामक व्यवस्था के सिद्धांत का अनुसरण किया जहां कोई भी उच्चतम सीमा अथवा सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, क्षेत्र विनियामक के रूप में प्राधिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रभावी निरीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्थाओं/ समझौतों के प्रकार और वाणिज्यिक अंतर्ग्रस्तता से अवगत हों। सेवा प्रदाता ऐसे करार(रों) पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं; तथापि, इसकी जानकारी विनियामक को दी जानी चाहिए।

18. अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के अनुसार प्रसारक के लिए पे चैनलों के सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूटरों को देने के पूर्व एक लिखित अंतःसंयोजन करार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि पे चैनलों के संबंध में जानकारी देने का दायित्व पे प्रसारकों पर होगा क्योंकि ऐसे मामले में वह सिग्नल प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के संदर्भ में टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रसारक के साथ एक लिखित समझौता करे जहां प्रसारक ने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के संबंध में अपने टेलीविजन चैनलों को चलाने का अनुरोध किया है। इसलिए, ऐसे मामलों में इस नेटवर्क के ऐक्सेस प्रदाता के रूप में ऐसे समझौते से संबंधित जानकारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करारों के मामले में जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, यह जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदान की जाएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उक्त एलसीओ को सिग्नल का प्रदाता होता है। तदनुसार, इन विनियमों में अनिवार्य उपबंध शामिल किए गए हैं।

19. जहां तक स्थापन समझौते का संबंध है, प्राधिकरण ने नोट किया कि मौजूदा विनियामक ढ़ांचे के अनुसार ईपीजी में अपेक्षित स्थिति में चैनल के स्थापन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रसारक निर्धारित सीमा के भीतर छूट प्रदान कर सकता है अथवा आपस में सहमत हुए शुल्क का भुगतान कर सकता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण के पास ऐसे समझौते अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत समझौतों को जमा करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण का विचार है कि अन्य सभी व्यक्तिगत समझौतों का ब्यौरा जिसमें विपणन, स्थापन, विज्ञापन स्लॉट संबंधी समझौता, विस्तारित ऋण सुविधा आदि शामिल है, की जानकारी प्रसारकों द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच विपणन शुल्क ब्यौरा और इस मामले में किसी चैनल के लिए किसी प्रकार के शुल्क की जानकारी प्राधिकरण को दी जाएगी। इस प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हस्ताक्षर किए गए विपणन अथवा सहायता अथवा दृश्यता अथवा स्थापन के लिए किसी भी प्रोत्साहन (मौद्रिक अथवा अन्यथा) की जानकारी प्रसारक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।

20. अपने आरआईओ की जानकारी देने के अतिरिक्त, प्रसारक आरआईओ के अनुसार टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षर किए गए व्यक्तिगत समझौतों की जानकारी का ब्योरा भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रसारक टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित अन्य सभी व्यक्तिगत समझौतों के ब्योरों की भी जानकारी देगा। आरआईओ आधारित समझौतों में किसी प्रकार के विचलन की जानकारी, इस विनियम के विनियम 3(3) के तहत दिए जाने की भी आवश्यकता होगी। तदनुसार, इन विनियमों में अनिवार्य उपबंध शामिल किए गए हैं।

21. प्रारूप विनियमों में यह विहित करते हैं कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (ऐड्रेसेबल प्रणालियां) के उपबंधों के अनुरूप विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिकारी को अंतःसंयोजन करार, रजिस्टर विनियमों के तहत भी अनुपालन अधिकारी को नामित किया था। प्रारूप विनियमों के संबंध में परामर्श के दौरान कुछ हितधारकों ने यह टिप्पणी की कि उनके संगठनात्मक ढ़ांचे को देखते हुए अन्य विनियमों के तहत विनियामक अनुपालन अधिकारी अंतःसंयोजन करारों संबंधी कार्यवाही नहीं करता है, इसलिए, इन हितधारकों ने टिप्पणी की कि सेवा प्रदाता को इन विनियमों के तहत पृथक अनुपालन अधिकारी नामोद्दिष्ट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्राधिकरण ने विधिवत रूप से इस सुझाव पर विचार किया है और तदनुसार, संगत उपबंधों को विधिवत् रूप से संशोधित कर दिया गया है। इस विनियम के अनुसार टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह अपेक्षित है कि वह विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करे। टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस विनियम के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्राधिकरण द्वारा होस्ट किए सेवा प्रदाता के पोर्टल **[www.spp.trai.gov.in]**[2] पर अनुपालन अधिकारी के नाम/ ब्योरे के बारे में जानकारी देना अपेक्षित है।

अंतःसंयोजन संबंधी ब्योरा के बारे में रिपोर्टिंग करने से छूट

22. परामर्श पत्र में यह प्रस्तावित था कि प्राधिकरण अंतःसंयोजन करारों के बारे में सूचना देने से कतिपय वर्ग के सेवा प्रदाताओं को छूट दे सकता है। इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा दी गई कोई छूट पारदर्शी होनी चाहिए और यह इसको समान रूप से प्रयोज्य बनाना चाहिए। प्रारूप विनियम से संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई हितधारकों ने इस बात का समर्थन किया कि किसी भी एमएसओ को छूट नहीं दी जानी चाहिए।

23. प्राधिकरण ने पाया कि इस उद्योग में 1143[3] सक्रिय एमएसओ और लगभग 100,000 एलएसओ कार्यरत हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1061 सक्रिय एमएसओ हैं जिनका सब्साक्राइबर आधार 1 लाख सब्सक्राइबरों से कम है। यह देखा गया है कि अनेक एमएसओ छोटे सेवा प्रदाता हैं जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में कम संख्या में सब्सक्राइबरों को सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही, चूंकि भारत में मार्च, 2017 में ही केबल टीवी डिजिटीकरण का कार्य पूरा हुआ है, इसलिए, डिजिटल एड्रेसेबल डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफार्म में कुछ एमएसओ का प्रचालन शैशवास्था में हैं। ऐसे छोटे एमएसओ की श्रमशक्ति और वित्त दोनों के संदर्भ में क्षमता संबंधी व्यवधान हो सकते हैं। इसलिए, आरंभ में केवल उन्हीं डिस्ट्रिब्यूटरों से सूचना मांगना उपयुक्त हो सकता है जिनके पास पर्याप्त सब्सक्राइबर आधार हो। इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक लाख अथवा इससे अधिक सब्सक्राइबर आधार वाले एमएसओ के पास 85 प्रतिशत से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केवल ऐसे डिस्ट्रिब्यूटर जिनके पास वर्ष के मार्च माह में एक लाख या इसे ज्यादा सक्रिय सब्सक्राइबर आधार हैं, वे अपने अंतःसंयोजन करारों के बारे में सूचना देनी होगी (अर्थात्, ऐसे डिस्ट्रिब्यूटर जिनके पास मार्च 2019 में 1,00,000 सब्सक्राइबरों का सक्रिय सब्सक्राइबर आधार है, तो उन्हें सभी अंतःसंयोजन करारों के संबंध में जानकारी देंगे)। तथापि, सभी डीपीओ अपने वाहक आरआईओ (अर्थात अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 के अनुसार

[2] अथवा समय समय पर यथा विहित

[3] जनवरी 20, 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा प्रकाशित आरआईओ) के बारे में प्राधिकरण को सूचना देंगे। मार्च माह के लिए औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार की गणना अंतःसंयोजन विनियम, 2017 में यथा विहित पद्धति के अनुरूप किया जाएगा। ऐसे डिस्ट्रिब्यूटर जिनके पास मल्टी हेड–एंड हो, गणना के लिए उनके द्वारा प्रचालित सभी हेड–एंड सहित सभी डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के सब्सक्राइबरों को शामिल किया जाएगा।

24. ऐसे कुछ एमएसओ हैं जो संयुक्त उद्यमों के रूप में भिन्न कंपनियों का प्रचालन कर रहे हैं। किसी एमएसओ या इसके कोई संयुक्त उद्यम सहभागी अंतःसंयोजन के पंजीकरण के लिए रिपोर्ट करने के अर्हक होते हैं, अर्थात् वे 'रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर' होते हैं तो डिस्ट्रिब्यूटरों के रूप में कार्य करने वाले इसके सभी संयुक्त उद्यम सहभागी/ सह–कंपनियों को अंतःसंयोजन करारों को प्रस्तुत करना चाहिए।
25. इसके अतिरिक्त, इन विनियमों में यह भी उपबंध है कि यदि कोई डिस्ट्रिब्यूटर कभी रिपोर्टिंग सीमा को पार करते हैं तो उन्हें ''रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर'' का दर्जा प्राप्त होगा। इसके उपरांत, यदि बाद के वर्षों में किसी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर का सब्सक्राइबर आधार इस सीमा से नीचे गिरता है, तो वह रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर, प्राधिकरण को अनुपालन अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका सब्सक्राइबर आधार उस वर्ष में न्यूनतम सीमा से नीचे है।
26. यदि डिस्ट्रिब्यूटर, जिसे इस उप–विनियम के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है, उसके सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार किसी बाद के वर्ष के मार्च माह में एक लाख (एक सौ हज़ार) सब्सक्राइबर से ज्यादा हो जाता है तो इस उप–विनियम के अंतर्गत ऐसे डिस्ट्रिब्यूटर को उस वर्ष के मार्च माह से किए गए सभी अंतःसंयोजन करार की जानकारी प्रदान करना अपेक्षित है। डिस्ट्रिब्यूटर को स्पष्ट रूप से बताना अपेक्षित है कि क्या उसका औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार एक लाख से ज्यादा है अथवा कम।
27. इस प्रकार, रिपोर्टिंग सीमा से नीचे औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार वाले डिस्ट्रिब्यूटर को अंतःसंयोजन संबंधी करारों के ब्यौरे की रिपोर्ट करने की बाध्यता से छूट प्राप्त है। ऐसे डिस्ट्रिब्यूटर अपने वाहक आरआईओ के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे। यह छूट व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है और सीमा के नीचे सब्सक्राइबर आधार और सीमित संसाधनों वाले एमएसओ पर विनियामक भार को कम करना है। तथापि, ऐसे डिस्ट्रिब्यूटरों को स्वेच्छा से सूचना देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उद्योग का समग्र डॉटा रजिस्टर में उपलब्ध हो। इससे प्राधिकरण को उद्योग पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने में सहायता मिलेगी और उद्योग का एकसमान विकास के लिए उपयुक्त उपाय/ निर्णय लिया जा सकेगा। प्राधिकरण इस विनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास कर रहा है, प्राधिकरण एक लाख से कम औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार वाले एमएसओ को भविष्य में अपने वाहक अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरे की रिपोर्ट भी करने का अधिदेश दे सकता है। प्राधिकरण एक लाख सब्सक्राइबर की रिपोर्टिंग सीमा की समय– समय पर समीक्षा करेगा।

रिपोर्टिंग की अवधि

28. प्रारंभ में, जब दिनांक 31 दिसंबर, 2004 में रजिस्टर विनियम, 2004 अधिसूचित किया गया था, तो सूचना की त्रैमासिक रिपोर्टिंग करने का प्रावधान था। लेकिन वर्ष 2009 में इस प्रावधान की समीक्षा कर वार्षिक रिपोर्टिंग कर दिया गया। परामर्श पत्र को मासिक रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया जहां सेवा प्रदाता को माह के दौरान किए गए सभी करारों के बारे में सूचना देने की आवश्यकता होगी और ऐसी सूचना उस माह के समाप्त होने के बाद 10 दिन के अंदर देनी होगी।
29. इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने टिप्पणी की कि रिपोर्ट की अवधि वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि बेहतर हो कि सेवा प्रदाताओं के लिए इस अवधि को बदल कर

वर्ष में दो बार कर दिया जाए क्योंकि टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों द्वारा बारंबार नए चैनलों को आरंभ करने, संशोधन या इसमें कुछ जोड़ने आदि से सूचना बिल्कुल ही परिवर्तनशील हो गई है। डॉटा को मासिक या त्रैमासिक आधार पर अद्यतन करना बहुत ही दुरूह और कठिन कार्य हो जाएगा। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि सेवा प्रदाताओं को अपने अंतःसंयोजन करारों के बारे में ब्योरा त्रैमासिक आधार पर देना चाहिए। एक हितधारक ने टिप्पणी की कि यदि तिमाही के दौरान कोई करार नहीं हुआ तो सेवा प्रदाता को शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि उस तिमाही में कोई करार नहीं हुआ है। परामर्श के दौरान कुछ हितधारक प्रारूप विनियम में किए गए प्रस्ताव के अनुसार अंतःसंयोजन संबंधी करार के बारे में मासिक रिपोर्टिंग करने पर सहमत थे। उनके अनुसार, जैसे ही अंतःसंयोजन संबंधी करार होता है, ऐसे करारों के बारे में सूचना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को बिना विलंब और छल–कपट प्रदान की जानी चाहिए।

30. प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग में यह परिपाटी है कि वे बहुधा वार्षिक आधार पर अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करते हैं। चूंकि पूर्व विनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने की अवधि वर्ष में एक बार थी, इसलिए जब कभी इन करारों के बारे में रिपोर्ट किया जाता था तो उनकी वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी होती थी। इसलिए, ऐसे मामलों में कोई सुधारात्मक कार्रवाई करना व्यवहार्य नहीं था, चाहे यह आवश्यक ही क्यों नहीं था। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पाया कि अंतःसंयोजन करार करने के बाद इससे संबंधित सूचना की रिपोर्टिंग औचित्य समय–सीमा के अंदर होनी चाहिए ताकि गैर–विभेदकारी और निगरानी के सिद्धांतों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। विनियामक द्वारा आवश्यक पर्यवेक्षण के साथ हितधारकों पर अनुपालन भार के मध्य संतुलन बनाना अपेक्षित है। तदनुसार, विभिन्न टिप्पणियों, मार्केट सूचना पर विचार करने और अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना की रिपोर्ट करना, ऐसे करार करने, आशोधनों, संशोधनों या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, के तीस दिन के अंदर की जाए। प्राधिकरण का विचार है कि हस्ताक्षर करने की तिथि से तीस दिन के अंदर करार के ब्योरा की रिपोर्टिंग करने से प्रसारकों और डीपीओ पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि एक करार की सूचना केवल एक बार करना अपेक्षित है। जब करार के बारे में जानकारी प्रदान कर दी जाती है तो तब तक फिर से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए। केवल ऐसे मामलों में ऐसे संशोधन में हस्ताक्षर किए जाने पर तीस दिन के अंदर संशोधन की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस प्रकार, करार या करार में कोई संशोधन की रिपोर्ट एक बार करना अपेक्षित है। इसलिए, किसी प्रसारक या डिस्ट्रिब्यूटर पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। वास्तव में, शतप्रतिशत करारों या संशोधनों को एक ही बार में बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग करने के बजाय ऐसे रिपोर्टिंग करने से संतुलन बना रहता है और पूरे वर्ष रिपोर्टिंग होती रहती है।

31. प्रसारक अथवा रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर अपने सभी अंतःसंयोजन करारों का ब्योरा ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को प्रदान करेगा। प्राधिकरण का विचार है कि रिपोर्टिंग में दोहराव होने से बचने के लिए जब किसी विशेष करार के बारे में भादूविप्रा को रिपोर्ट किया जाता है तो इसी करार के बारे में तब तक रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए जब तक एसे करार में कोई परिवर्तन/ आशोधन नहीं किया जाता है। नया प्रसारक भी अंतःसंयोजन करारों की सूचना ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिन के अंदर करेगा।

32. टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर अपने और प्रसारक के मध्य हस्ताक्षरित सभी विशिष्ट करारों के संदर्भ में प्रसारक द्वारा दायर सूचना को पंद्रह दिनों के अंदर सत्यापन करेगा। इसी प्रकार, संबंधित प्रसारक अपने और रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य हस्ताक्षरित सभी विशिष्ट करारों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाले रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा दायर सूचना का पंद्रह दिनों के अंदर सत्यापन करेगा। ऐसे सत्यापन में शीघ्रता लाने के लिए प्राधिकरण संबंधित अनुपालन अधिकारी को सिस्टम समर्थित ई–मेल सृजित करने के लिए प्रयास करेगा।
33. यदि कोई प्रसारक/रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर किसी करार के संबंध में सूचना जमा करने में असफल रहता है, तो संबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक सभी अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या आशोधन, जैसा भी मामला हो, की तिथि से पैंतालीस दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचना देगा या रिपोर्ट करेगा।

रिपोर्टिंग की पद्धति और प्रारूप

34. जहां तक रिपोर्टिंग की पद्धति का संबंध है, सभी हितधारक परामर्श पत्र में यथा प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक पद्धति से सहमत हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना का स्वरूप व्यापक होने के नाते यह प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर के हित में है कि ऐसी सूचना को इलेक्ट्रानिक माध्यम से रिपोर्ट की जाए। यह प्राधिकरण और हितधारकों द्वारा दी गई ऐसी सूचना को पुनः प्राप्त करने और उसके प्रबंधन में सुलभता होगी। इलेक्ट्रानिक पद्धति में सूचना को रिपोर्ट करने के कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे सीडी–रोम, ईमेल के माध्यम से ई–फॉइलिंग या अंतःसंयोजन करारों से संबंधित डॉक्यूमेंट या सूचना को वेबसाइट/ई–पोर्टल पर अपलोड करना।
35. परामर्श के दौरान प्रारूप विनियम में यथा प्रस्तावित रिपोर्टिंग के प्रारूप पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई। प्रारूप के अतिरिक्त, वास्तविक करारों की प्रतियां को फाइल करने की अपेक्षा भी प्रस्तावित था। हितधारकों ने इन प्रारूपों पर भिन्न विचार व्यक्त किए। साथ ही, प्रारूपों/तालिकाओं में उल्लेखित मानदंड पूर्ववती अंतःसंयोजन विनियामक ढांचा के अनुसार थे जिसे नए ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए हितधारकों के कुछ सुझाव वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। करारों की प्रतियां फाइल करने के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने करारों की प्रतियां फाइल करने की अपेक्षा को हटाने का सुझाव दिया, जबकि कुछ अन्य हितधारकों ने सेवा प्रदाताओं को अपने करारों की वास्तविक प्रतियां फाइल करने का अधिदेश देने पर बल दिया ताकि उनके द्वारा दी गई तालिकाबद्ध ब्योरों की प्रतियों की जांच की जा सके। अधिकांश एमएसओ ने सुझाव दिया कि एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित अंतःसंयोजन करारों की प्रतियां फाइल करने से उन्हें छूट प्रदान की जा सकती है क्योंकि ऐसे करारों को पहले ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मॉडल अंतर्संयोजयन करार (एमआईए) अथवा मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) में पूर्व परिभाषित किया गया है।
36. प्राधिकरण ने नोट किया कि कालक्रम में अंतःसंयोजन ढांचा में परिवर्तन और अन्य प्रासंगिक अपेक्षाओं के कारण रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। प्राधिकरण ने व्यापक शीर्षक/मानक निर्धारित किए हैं जिसके तहत इस विनियम के कार्यक्रमों में प्रसारक अथवा टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर इस विनियम की अनुसूची में जानकारी प्रदान करेंगे। प्राधिकरण समय–समय पर उपयुक्त निदेश के माध्यम से प्रचलित विनियामक ढांचे के तर्ज पर विशिष्ट प्ररूप निर्धारित कर सकता है। यह पद्धति विनियम में संशोधनों की जरूरत को रोक सकती है। इससे प्राधिकरण, यथा– आवश्यकतानुसार अति उपयुक्त सूचना/डॉटा समुच्चय प्राप्त में सक्षम होगा।
37. टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित किसी करार के बारे में प्रसारक को विनियम 3(3) में उल्लिखित रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर सहित, के अनुसार सूचना का ब्योरा का रिपोर्ट

देना अपेक्षित होता है। प्रसारक द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' सावर्जनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार का स्वरूप गोपनीय नहीं होता है। इसी तरह, प्रसारक के साथ हस्ताक्षरित किसी करार के बारे में टेलीविजन चैनलो के डिस्ट्रिब्यूटर, जिनके पास औसत एक लाख के बराबर या इससे ज्यादा सक्रिय सब्सक्राइबर हैं, को विनियम 3(4) में उल्लेखित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' के अनुसार सूचना का ब्योरा का रिपोर्ट देना अपेक्षित होता है। डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार की प्रकृति गोपनीय नहीं होती है। विनियम यह अधिदेश करता है कि प्रसारक टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित सभी अन्य करार जैसे प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक व्यवस्था से संबंधित सूचना की जानकारी तीन भागों अर्थात् भाग–ए, भाग–बी और भाग–सी में देगा। भाग–ए में प्रत्येक करार/ आशोधन/ संशोधन या परिशिष्ट से संबंधित कतिपय मूलभूत ब्योरा यथा संविदा पार्टियों के नाम और पता, करार हस्ताक्षर करने की तारीख, करार की वैधता अवधि आदि जानकरी होगी। भाग–बी में यथा निर्धारित तालिका प्रारूप में वाणिज्यिक ब्योरा होगा। भाग–सी में ऐसे करार/आशोधन/संशोधन अथवा अनुशेष की वास्तविक प्रति इलेक्ट्रानिक प्रारूप में होगी। इस विनियम के अंतर्गत प्राधिकरण सूचना फॉइल करने के लिए प्रारूप या ई–फार्म निर्धारित कर सकता है। प्राधिकरण भाग–सी में करार की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या स्कैन प्रति अथवा आरआईओ को प्रस्तुत किया जा सकता है। आरआईओ आधारित करारों के संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि चूंकि वे गैर–गोपनीय स्वरूप के होते हैं, जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है इसलिए समग्र जानकारी को केवल भाग–ए में ही समाहित किया जाएगा। उपयुक्त निदेश(शों) के माध्यम से प्राधिकरण अलग से ई–रिपोर्टिंग और अंतःसंयोजन करारों का ब्योरा फाइल करने संबंधी प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा।

38. प्राधिकरण ने हितधारकों के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि डिस्ट्रिब्यूटरों को एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित करारों की प्रतियां फाइल करने हेतु अधिदेशित नहीं दिया जाना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूटर–एलसीओ करार मानकीकृत होते हैं क्योंकि विनियम, एमआईए/एसआईए पर ऐसे करारों के हस्ताक्षर हेतु निर्धारित करता है। एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित वास्तविक करारों की प्रतियां फाइल करने से डिस्ट्रिब्यूटर को छूट दी गई है। एमएसओ को एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित सभी पृथक करारों का ब्योरे की जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जैसे कि संविदागत पक्षकारों के नाम और पते, करार पर किए गए हस्ताक्षर की तिथि, करार की वैधता अवधि, और करार के तहत एरिया; प्रत्येक करार के संबंध में इस बात की ओर इशारा की क्या करार पर मानक अंतःसंयोजन करार के आधार पर अथवा मॉडल अंतःसंयोजन करार के आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; सेवा प्रभारों का निपटान (मॉडल अंतःसंयोजन की स्थिति में), राजस्व बटवारा सहमति का ब्योरा (छूट यदि कोई हो), और प्राधिकरण द्वारा निदेश के माध्यम से समय–समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य ब्योरे के बारे में रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है।

39. कतिपय जानकारियां जिन्हें फॉइल करना अपेक्षित होता है, को प्राधिकरण द्वारा निदेश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में तालिकाबद्ध ब्योरा में दिया जा सकता है और अंतःसंयोजन करार की प्रति लिखित करार की स्कैन प्रति असंपादनीय पीडीएफ प्रारूप में हो सकती है अथवा किसी अन्य प्रारूप में जिसे प्राधिकरण समय–समय पर निदेश(शों) के माध्यम से विहित करे। प्रसारक और डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य किए गए वास्तविक करारों की प्रतियों को फाइल करना आवश्यक है। इससे प्राधिकरण को अंतःसंयोजन करार के निबंधन और शर्तों और प्रसारक तथा टेलीविजन चैनलों के

डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य अन्य मामले सहित एक व्यापक और पूर्ण डॉटा का रखरखाव करने में सहायता प्राप्त होगी।

रिपोर्टों की परिशुद्धता और प्रमाणिकता

40. परिशुद्धता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श पत्र में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।

41. जैसा की पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण विनियम के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास कर रहा है। इस पोर्टल में प्रयोक्ता (अर्थात प्रसारक, डीपीओ आदि) के प्रमाणीकरण के लिए प्रयास किया गया है और प्रत्येक प्रयोक्ता के पास रिपोर्ट करने के लिए एक पासवर्ड होगा। इस प्रकार केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राधिकरण को फाइलिंग प्रस्तुत कर सकता है। अतः, प्राधिकरण का विचार है कि केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से फाइलिंग करने को अभी लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भाग–सी, जिसमें करार की प्रति जमा करना अपेक्षित है, वह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज या स्कैन दस्तावेज (वास्तविक हस्ताक्षरित दस्तावेज की स्कैन प्रति आदि) हो सकता है।

42. निदेश(शों) के माध्यम से विनियम प्रारूप का निर्धारण और सूचना की रिपोर्टिंग की पद्धति सुनिश्चित करता है। प्रासंगिक दस्तावेज(जों) में डिजिटल हस्ताक्षरों के संबंध में उपयुक्त खंड भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई सूचना सभी संदर्भों में पूर्ण और सही है की नहीं, प्राधिकरण ने अधिदेश दिया है कि संबंधित हितधारक (अन्य पक्षकार) उनके मध्य हस्ताक्षरित सभी करारों के संबंध में प्रसारक/जानकारी प्रदान करने वाला रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर (प्रथम पक्ष) द्वारा दायर सूचना का जानकारी प्रदान करने वाला रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक द्वारा फाइलिंग की तिथि से पंद्रह दिन के अंदर सत्यापन करेगा।

रिपोर्टिंग करने में विलंब के लिए वित्तीय निरूत्साहन

43. अनेक बार यह देखा गया है कि प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर नियत समय–सीमा के अंदर अपेक्षित सूचना जमा नहीं करते हैं। हितधारक इस बात की सराहना करते हैं कि समयबद्ध अनुपालन किसी विनियामक व्यवस्था का मूल तत्व है। कई हितधारकों ने पाया कि प्रचलित व्यवस्था में वे उपयुक्त खंड नहीं हैं जो विलंब से फाइलिंग करने से हतोत्साहित करें। टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर यह बात उभरती है कि विलंब से जमा करने पर कुछ निरूत्साहन लगाना, समयबद्ध अनुपालन में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण ने प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर को रिपोर्टिंग करने में विलंब करने पर वित्तीय निरूत्साहन उदग्रहण करने को विहित किया है। 'ग्रेडेड मानों' पर वित्तीय निरूत्साहन उद्ग्रहण का प्रस्ताव है। अर्थात्, यदि देय तिथि तक सूचना नहीं दी जाती है तो प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर पहले तीस दिन विलंब करने के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपए का भुगतान करेगा। यदि तीस दिन से भी अधिक का विलम्ब होता है तो वित्तीय निरूत्साहन की राशि में वृद्धि हो जाएगी और पहले तीस दिनों के बाद 2000 रूपये प्रति अतिरिक्त दिन होगा। इसलिए, यदि प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर देय तिथि के 40 दिन बाद सूचना देता है तो वित्तीय निरूत्साहन की गणना निम्नानुसार होगी :

क. उदाहरण : <u>40 दिन के विलंब के लिए वित्तीय निरूत्साहन की गणना :</u>

पहले 30 दिनों के लिए वित्तीय निरूत्साहन = रू. 30000/– (@1000 X 30)

अगले 10 दिनों के लिए वित्तीय निरूत्साहन = रू. 20000/– {@2000 X (40–30)}

कुल वित्तीय निरूत्साहन = 50000/– रुपए

44. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण का मत है कि अधिकतम वित्तीय निरूत्साहन की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण ने अधिकतम दो लाख रूपये की सीमा निर्धारित की है। विनियम में यथा निर्धारित अधिकतम सीमा प्रत्येक अपेक्षित प्रस्तुति और प्रत्येक देय तिथि के लिए प्रयोज्य है। यह पुनः दोहराया जाता है कि प्रत्येक आरआईओ/करार या अन्य मामले, जैसा प्रयोज्य हो, के संबंध में वित्तीय निरूत्साहन की गणना अनिवार्य फाइलिंग के लिए अलग से की जाएगी।
45. यदि प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर दोनों किसी करार के बारे में रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तो वित्तीय निरूत्साहन के अतिरिक्त ऐसे प्रसारक और रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर, दोनों पर प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे दोषी सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार, कोई सूचना देने पर असफल रहने के लिए प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर पर प्राधिकरण द्वारा कोई वित्तीय निरूत्साहन का उदग्रहण, किसी भी तरह से प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर का ऐसे सूचना के रिपोर्टिंग के दायित्व निर्वहन में कमी नहीं माना जाना चाहिए। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण को वित्तीय निरूत्साहन के उदग्रहण के अतिरिक्त दोषी प्रसारक या टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रिब्यूटर और इसके अनुपालन अधिकारी के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के अधिकार है।

रजिस्टर का अनुरक्षण और सूचना की उपलब्धता

46. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने हितधारकों से स्पष्ट रूप से यह पूछा कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वाणिज्यिक सूचना इच्छित हितधारकों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। इस मुद्दे पर हितधारकों से विभिन्न मत प्राप्त हुए हैं।
47. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि चूंकि वाणिज्यिक संविदाओं के संदर्भ में संवेदनशील वाणिज्यिक सूचना की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य सुरक्षोपाय है, इसलिए इसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं उद्घटित किया जाना चाहिए। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतर्गत प्रत्याभूत वृत्ति और व्यापार करने का अधिकार के तहत वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना का संरक्षण उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भादूविप्रा को कतिपय सूचना को गोपनीय या अगोपनीय रखने के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 35 के अंतर्गत दिए गए प्रक्रियाओं के समान ही प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं द्वारा दायर सभी अंतःसंयोजन करारों की स्वयं जांच करनी चाहिए और तत्पश्चात् प्राधिकरण को उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि केवल सूचना के रूझान का विश्लेषण ही आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
48. दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि केवल ऐसे इच्छित सेवा प्रदाताओं को सूचना उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास वैध लाइसेंस हों। कुछ हितघारकों ने सुझाव दिया कि सही अर्थों में गैर–विभेदकारी का भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रत्येक प्रकार की सूचना उपलब्ध हो ताकि कोई भी गैर–विभेदकारी आधार पर चैनल प्राप्त कर सके। उनके मत है कि प्रासंगिक वाणिज्यिक सूचना तक पहुंच प्रदान करने से सेवा प्रदाताओं को डॉटा और रूझान देखकर अंतःसंयोजन करार करने में सहायता मिलेगी और यह समान अवसर उपलब्ध कराएगा तथा दक्षता आधारित प्रतिस्पर्धा एवं सेवा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेगा और इसे प्रभावी रूप से पारदर्शीता और गैर–विभेदकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
49. प्राधिकरण का मत है कि 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' के अनुसार प्रसारक/डिस्ट्रिब्यूटर को डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक के साथ हस्ताक्षरित करारों की सूचना का ब्योरे जिसे रिपोर्ट करना अपेक्षित

है, गैर गोपनीय स्वरूप का है चूंकि प्रसारक/डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' सावर्जनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार का स्वरूप गोपनीय नहीं होते हैं।

50. कुछ हितधारकों ने डिजिटल दस्तावेजों/स्कैन करारों के माध्यम से संवेदनशील सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। प्राधिकरण ऐसे सूचना की संपूर्ण डॉटा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रसारकों और डिस्ट्रिब्यूटरों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों/करारों को कूटबद्ध प्रारूप में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल दस्तावेजों/ स्कैन दस्तावेजों को सामान्यतः ऑफलाइन पद्धति से रखा जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा कि रजिस्टर में उल्लेखित डॉटा तब तक सुलभ नहीं हों जब तक रजिस्टर की जांच के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट न हों।

51. प्राधिकरण ने दो भागों में अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर का रखरखाव करने का निर्णय लिया है अर्थात् भाग–I और भाग–II, भाग–I में (ए) विनियम 3 के उप विनियम (1), (2), (4) और (5) के तहत प्रदान की गई जानकारी; और (बी) विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'ए' में यथा संसूचित की गई जानकारी; और भाग–II में विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'बी' और भाग 'सी' में यथा संसूचित जानकारी अंतर्विष्ट होगी। रजिस्टर को गैर गोपनीय माना जाएगा, जब तक कि अंतःसंयोजन करार में पक्षकार कोई पक्ष प्राधिकरण को विनियमों में विहित पद्धति तथा प्ररूप में भाग– II में संसूचित करार के किसी भाग को गोपनीय मानने के संबंध में अनुरोध नहीं करता है। गोपनीयता बरतने के अनुरोध को लिखित में तथा गोपनीय रखे जाने वाले भाग की गैर–गोपनीयता संबंधी सारांश के साथ भेजा जाएगा। सेवा प्रदाता यह स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि किस पैरा तथा तत्संबंधी भाग को गोपनीय माना जाए। ऐसे अनुरोध के साथ– साथ ऐसी जानकारी को गोपनीय मानने के कारण(णों) का ब्योरा भी संलग्न किया जाएगा। यदि प्राधिकरण का गोपनीयता के अनुरोध को अस्वीकार करने का प्रस्ताव हो तो वह, सेवा प्रदाता को लिखित में ऐसा किए जाने के कारणों का उल्लेख करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इस निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन दायर करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हों तो, पर विचार करने पर, प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा। यदि प्राधिकरण सेवा प्रदाता के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो वह ऐसा किए जाने के कारणों सहित इसे लिखित में सम्प्रेषित करेगा। इस प्रकार, विनियमों में अंतर्विष्ट उपबधों के अध्यधीन, विनियम के तहत विहित शुल्क के भुगतान पर जन साधारण से किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

अनुसूची–**I**
{उल्लेखे विनियम 3 का उप विनियम (1)}

प्रसारकों द्वारा रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर की जानकारी

तालिका (Iए) (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)		
क्रम संख्या	मानदंड	उपलब्ध कराया जाने वाला ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	आरआईओ का ब्योरा	संख्या : ..... दिनांक : ..... आरआईओ की सॉफ्ट कापी को 'वर्ड' तथा 'पीडीएफ' प्ररूप में संलग्न करें (दोनों संस्करणों को प्रस्तुत किया जाए)

तालिका (Iबी) चैनलों की सूची (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)						
क्रम संख्या	चैनल का नाम	चैनल का स्वरूप (पे/ एफटीए)	चैनल का जेनरे	पे चैनल*		
				अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह	डीपीओ को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट, यदि कोई प्रदान की गई हो।	संवितरण शुल्क*
*अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 7 के अनुसार जानकारी						

तालिका (Iसी) बुके की सूची (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)						
क्रम संख्या	(बुके की कुल संख्या....)					
	बुके का नाम	बुके में चैनलों की संख्या	बुके मे चैनलों के घटक का नाम	पे चैनलों के बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह	वितरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर कोई छूट, यदि प्रदान की गई हो,	संवितरण शुल्क*
*अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 7 के अनुसार जानकारी						

अनुसूची–**II**
{देखें विनियम 3 का उप विनियम (2)}

सभी वितरकों द्वारा रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश की जानकारी

तालिका (IIए)		
क्रम संख्या	मानदंड	उपलब्ध कराए जाने वाला ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म का स्वरूप (एमएसओ/एचआईटीएस/आईपीटीवी/डीटीएच)	
3	आरआईओ का ब्योरा	संख्या : ..... दिनांक : ..... आरआईओ की सॉफ्ट कापी को 'वर्ड' तथा 'पीडीएफ' प्ररूप में संलग्न करें (दोनों संस्करणों को प्रस्तुत किया जाए)
4	चैनल वहन करने की क्षमता, प्लेटफार्म पर वर्तमान में धारित चैनलों की वास्तविक संख्या तथा अतिरिक्त चैनलों की क्षमता	चैनल वहन करने की क्षमता ..... वर्तमान में धारित चैनलों की वास्तविक संख्या .... अतिरिक्त चैनलों की क्षमता .....
5	औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार (देखें विनियम 8 का उप विनियम 2 और अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के अनुसूची VII)	एसडी ..... एचडी ..... कुल ..... लंबित अनुरोधों की संख्या* .....
6	कैरिज शुल्क	कैरिज शुल्क ..... छूट (यदि कोई हो तो) .....
7	क्या आप 'रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर' हैं**	हाँ/ नहीं
* अंतःसंयोजन विनियम के विनियम 4 के उप विनियम (4) (एफ) को देखें। कृपया लंबित चैनलों की सूची संलग्न करें। ** ब्योरे के लिए विनियम 2(के के) में यथा उपबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर की परिभाषा का संदर्भ ग्रहण करें।		

तालिका (IIबी) चैनलों की सूची*					
क्रम संख्या	चैनल का नाम	चैनल का स्वरूप (पे/एफटीए)	पे चैनल की डीआरपी	जेनरे	ईपीजी पर चैनल नम्बर
* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।					

तालिका (IIसी) बुके की सूची* (सभी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)			
क्रम संख्या	बुके का नाम	बुके में संघटक चैनलों का नाम	बुके की डीआरपी
* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।			

तालिका (IIडी) टारगेट मार्केट * (सभी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)			
क्रम संख्या	हैड एंड लोकेशन	टारगेट मार्केट का ब्योरा	टिप्पणियां, यदि कोई हों तो
*अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।			

अनुसूची– **III**

{देखें विनियम 3 का उप विनियम (3)}

टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित व्यक्तिगत करार का ब्योरा

(सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

तालिका (IIIए): भाग–ए (आरआईओ आधारित करार से संबंधित, जिसकी जानकारी सभी पे चैनल(लों) वाले प्रसारकों द्वारा दी जानी है												
क्रम संख्या	करार संख्या	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया	अलाकार्ट पे चैनलों की संख्या	अलाकार्ट पे चैनलों का नाम	पे चैनलों के बुके का नाम	सहमत हुआ संवितरण शुल्क	अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट की राशि (प्रतिशत में)
					से	तक						

प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार हेतु करार (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

	तालिका (IIIबी): भाग–ए							
क्रम संख्या	करार संख्या	करार का टाइप/नाम/ स्वरूप (प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार)	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया
						से	तक	

प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार हेतु करार (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

तालिका (IIIसी)											
	भाग–ए								भाग–बी		भाग–सी
क्रम संख्या	करार संख्या	करार का टाइप/ नाम/ स्वरूप (प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार)	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया	मौद्रिक हेतु– राशि रुपए में	गैर– मौद्रिक प्रोत्साहन का ब्योरा	करार की स्कैन/ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति
						से	तक				
नोटः भाग बी एवं भाग सी को, विनियम 6 का उप विनियम (1) से (3) के तदनुसार, गोपनीय माना जायेगा											

अनुसूची– **IV**
{देखें विनियम 3 का उप विनियम (4)}

(सभी डिस्ट्रब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

प्रसारकों के साथ हस्ताक्षरित सभी पृथक करारों का ब्योरा जिनके संबंध में टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है														
क्रम संख्या.	करार संख्या	प्रसारक का नाम	प्रसारक का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		करार द्वारा कवर किया गया एरिया	अलाकार्ट पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनल की संख्या	करार द्वारा कवर किया जाने वाले चैनलों का नाम	करार द्वारा कवर किया जाने वाले चैनलों का स्वरूप (पे अथवा एफटीए)	पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनलों के बुके का नाम	पे और/अथवा एफटीए चैनलों के प्रत्येक बुके के संघटक पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनलों का नाम	करार द्वारा कवर किए गए प्रत्येक चैनल के संबंध में सहमत हुआ कैरिज शुल्क (रुपए में)	चैनल के संबंध में सहमत हुए छूट के प्रतिशत की प्रमात्रा (कैरिज शुल्क का प्रतिशत)
					से	तक								

अनुसूची– **V**
{देखें विनियम 3 का उप विनियम (5)}

(सभी रिपोर्टिंग डिस्ट्रब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

स्थानीय केबल आपरेटर के साथ करार का ब्योरा													
क्रम संख्या	करार संख्या	एलसीओ का नाम	एलसीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		करार द्वारा कवर किया गया एरिया	विनिर्दिष्ट करें कि किस आधार पर करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं (एमआईए/ एसआईए)	सेवा प्रभारों (1) का निपटान		छूट	सहमत हुआ कोई अन्य शुल्क (2)	टिप्पणियां (3)
					से	तक			संवितरण शुल्क में एलसीओ की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	नेटवर्क क्षमता शुल्क में एलसीओ की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			

1) इस कॉलम को केवल तभी भरें जब एमआईए पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों और एमएसओ और एलसीओ के बीच सेवा प्रभार को संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के अनुरूप संवितरित किया जाना हो।

2) इस कॉलम को केवल एमआईए की स्थिति में ही भरें जब एमएसओ और एलसीओ के बीच संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के संवितरण के अलावा, सेवा प्रभार के निपटान हेतु पृथक व्यवस्था हो।

3) व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करें यदि एमएसओ और एलसीओ के बीच संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के संवितरण से भिन्न, व्यवस्था हो।

अनुसूची– **VI**
{देखें विनियम 7 का उप विनियम (3)}

अनुपालन अधिकारी से संबंधित जानकारी

क्रम संख्या	मानदंड	ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	सेवा प्रदाता का स्वरूप (प्रसारक/ एमएसओ/एचआईटीएस/ आईपीटीवी/डीटीएस)	
3	सेवा प्रदाता का पंजीकृत पता	
4	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी/ व्यक्ति का नाम	
5	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी/ व्यक्ति का पदनाम	
6	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी/ व्यक्ति का संपर्क ब्योरा	दूरभाष (कार्यालय) : (मोबाइल) : ई– मेल
7	बोर्ड के संकल्प/प्राधिकार पत्र का ब्योरा	संख्या ..... दिनांक : ..... (अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति संलग्न की जाए)
8	क्या मूल/ परिवर्तित नामांकन	मूल/ परिवर्तित
9	अनुपालन अधिकारी का नाम	
10	अनुपालन अधिकारी का संपर्क ब्योरा	दूरभाष (कार्यालय) : (मोबाइल) : ई– मेल